



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 673]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 16, 2011/अग्रहायण 25, 1933

No. 673]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 16, 2011/AGRAHAYANA 25, 1933

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2011

सा.का.नि. 885(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 5 के साथ पठित धारा 24 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मदन मोहन मालवीय की 150वीं जयन्ती" के अवसर पर स्मरणोत्सव मनाने के लिए एक सौ पचास रुपए और पांच रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **मानक वजन तथा अनुज्ञात उपचार.**—सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 4 के उपबंधों के अधीन "मदन मोहन मालवीय की 150वीं जयन्ती" के अवसर पर स्मरणोत्सव मनाने के लिए एक सौ पचास रुपए और पांच रुपए अंकित मूल्य के सिक्कों का मानक वजन और अनुज्ञात उपचार और ऐसे सिक्कों को बनाने में अनुज्ञात उपचार नीचे सारणी में यथाविनिर्दिष्ट रूप में होगा, अर्थात् :—

सारणी

अंकित मूल्य	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार	
		संघटन में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
एक सौ पचास रुपए	35 ग्राम	चांदी में 1/500 कम या ज्यादा अर्थात् चांदी में प्रति 1000 में 498 से 502 तक का अंतर हो सकेगा।	1/100 कम या ज्यादा अर्थात् वजन में 34.65 ग्राम से 35.35 ग्राम तक का अंतर हो सकता है।
पांच रुपए	6 ग्राम	तांबा और जस्ता के लिए 1/100 कम या ज्यादा अर्थात् तांबे में 74% से 76% तक और जस्ते में 19% से 21% तक का अंतर हो सकता है और निकैल के लिए 1/200 तक कम या ज्यादा अर्थात् निकैल में 4.5% से 5.5% तक का अंतर हो सकता है।	1/40 तक कम या ज्यादा अर्थात् वजन में 5.85 ग्राम से 6.15 ग्राम तक का अंतर हो सकता है।

[फा. सं. 2/24/2011-सिक्का]

अरुण सोबती, अवर सचिव (सी एंड सी)

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2011

**G.S.R. 885(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 24, read with Section 5 of the Coinage Act, 2011 (11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

**1. Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Coinage of the One Hundred Fifty Rupees and Five Rupees coined to Commemorate the occasion of “150th Birth Anniversary of Madan Mohan Malaviya” Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Standard weight and remedy allowed.**—Standard weight and remedy allowed on coins of certain denominations, coined to commemorate the occasion of “150th Birth Anniversary of Madan Mohan Malaviya”, under the provision of Section 4 of the Coinage Act, 2011 (11 of 2011) and the remedy allowed in making of such coins shall be as specified in the Table given below :—

TABLE

Denomination	Standard Weight	Remedy Allowed	
		In Composition	In Standard Weight
(1)	(2)	(3)	(4)
One Hundred Fifty Rupees	35 Grams	1/500th plus or minus for Silver, that is to say, the Silver content may vary from 498 to 502 per 1000	1/100th plus or minus, that is to say, the weight could vary from 34.65 grams to 35.35 grams.
Five Rupees	6 Grams	1/100th plus or minus for Copper and Zinc, that is to say, Copper could vary from 74% to 76% and Zinc from 19% to 21% and 1/200th plus or minus for nickel that is to say nickel could vary from 4.5% to 5.5%.	1/40th plus or minus that is to say, the weight could vary from 5.85 grams to 6.15 grams.

[F. No. 2/24/2011-Coin]

ARUN SOBTI, Under Secy. (C and C)



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 301]  
No. 301]नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 22, 2012/आषाढ़ 1, 1934  
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 22, 2012/ASADHA 1, 1934

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 20 जून, 2012

सा.का.नि. 497(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित "मदन मोहन मालवीय की 150वीं जयन्ती" के संबंध में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 885(अ) दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 में, पृष्ठ सं. 2 पर—

- (i) पंक्ति 5 और 6 में, "सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 5 के साथ पठित धारा 24 की उप-धारा (1)", के लिए "सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 7 के साथ पठित धारा 21 की उप-धारा (1)", पढ़ा जाए।
- (ii) पंक्ति 13 में, "सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 4" के लिए "सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 6" पढ़ा जाए।

[फा. सं. 2/24/2011-सिक्का]

अरुण सोबती, अवर सचिव (सी एंड सी)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 20th June, 2012

G.S.R. 497(E).—In the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs Notification No. G.S.R. 885(E) dated the 16th December, 2011 relating to "150th Birth Anniversary of Madan Mohan Malaviya" published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), at page 2,—

- (i) In lines 5 and 6, for "sub-section (1) of Section 24, read with Section 5 of the Coinage Act, 2011 (11 of 2011)", read "sub-section (1) of Section 21, read with Section 7 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906)";
- (ii) In line 13, for "Section 4 of the Coinage Act, 2011 (11 of 2011)", read "Section 6 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906)".

[F.No. 2/24/2011-Coin]

ARUN SOBTI, Under Secy. (Coin &amp; Currency)



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1183]  
No. 1183]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 22, 2012/आषाढ़ 1, 1934  
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 22, 2012/ASADHA 1, 1934

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 20 जून, 2012

**का.आ. 1412(अ).**—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित "मदन मोहन मालवीय की 150वीं जयन्ती" के संबंध में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना सं. का.आ. 2803(अ) दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 में पृष्ठ सं. 2 पर, पंक्ति 5 में "सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 4", के लिए "सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 6" पढ़ें।

[फा. सं. 2/24/2011-सिक्का]

अरुण सोबती, अवर सचिव (सीएंडसी)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 20th June, 2012

**S.O. 1412(E).**—In the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs Notification No. S.O. 2803(E) dated the 16th December, 2011 relating to "150th Birth Anniversary of Madan Mohan Malaviya" published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), at page 2, in line 5, for "Section 4 of the Coinage Act, 2011 (11 of 2011)", read "Section 6 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906)".

[F. No. 2/24/2011-Coin]

ARUN SOBTI, Under Secy. (Coin & Currency)